राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

दिनांक : 17.7.01

राअशिप/उक्षेस/फा-3/पीबी-68/बीएड(अति.)/2001/1663

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

बी0 सी0 एम0 कॉलिज ऑफ एजूकेशन, 32/ए, अरबन स्टेट, चण्डीगढ रोड, लुधियाना-141010, पंजाब ने बीएड पाठ्यक्रम की 60 अतिरिक्त सीटों की सत्र 2001-2002 से मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 25.10.2000 को प्राप्त हुआ।

पंजाब राज्य सरकार ने संस्था को अपने पत्र दिनांक 19.11.2000 के द्वारा संस्था को 60 अतिरिक्त सीटों की मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया था। संस्था की 60 अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 27-28 फरवरी, 2001 एवं 1 मार्च, 2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ है तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. वर्तमान 120 सीटों के लिए 6 नेट योग्यताधारी व्याख्याता है। अतः 6 योग्यताधारी व्याख्याताओं तथा एक प्राचार्य की कमी है।
2. अतिरिक्त 60 सीटों के लिए कोई योग्यताधारी व्याख्याता नहीं है।
3. होम साइंस का व्याख्याता नहीं है।
4. एक अनुदेशक की कमी है।
5. एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक सहायक की कमी है।
6. सभी शैक्षिक स्टॉफ को स्थिर वेतन दिया जा रहा है। परिषद् मानदंडानुसार वेतनमान देने की कमी है।
7. व्याख्याताओं का चयन निर्धारित गठित चयन समिति द्वारा नहीं किया गया है।
8. हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है।
9. शैक्षिक तकनीकी लैब की कमी है।
10. खेल मैदान में बास्केट बॉल और वॉली बॉल मैदानों की कमी है।
11. फीस राज्य सरकार के मानदंडानुसार नहीं है।
12. अक्षय निधि में 2.00 लाख रुपये की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फा-3/पीबी-68/2001/925 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 15.6.2001 के द्वारा दिया गया था।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत आरै विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **बी0 सी0 एम0 कॉलिज ऑफ एजूकेशन, 32/ए, अरबन स्टेट, चण्डीगढ रोड, लुधियाना-141010, पंजाब** के बीएड पाठ्यक्रम को प्रस्तावित 60 अतिरिक्त सीटों की मान्यता को पूर्व में प्रदत्त 120 सीटों के लिए निम्नांकित कमियां वर्तमान में होने के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. योग्यताधारी प्राचार्य की कमी है।
2. दो व्याख्याताओं की निर्धारित योग्यताधारी न होने की कमी है तथा 4 व्याख्याताओं की निर्धारित योग्यता पूर्ण करने की कमी है।
3. होम साइन्स के व्याख्याता की कमी यथावत है।

12

C:\My Documents\Bansal.doc C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org